


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स विराजो सा व अन्य

प्रकरण संख्या 536 /2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
28.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में धारा 13 (2) के नोटिस की रजिस्टर्ड ए.डी. या दौ दैनिक अखबार में प्रकाशित नोटिस की फोटो प्रति पेश नहीं की गई है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	